

आयुर्वेद विभाग

दि. 10.3.2025

आज दिनांक 10.3.2025 को महानि 3:00 बजे आयुर्वेद विभागीय अनुसंधानोपधि समिति की बैठक मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित निम्नानुसार उपस्थित हुए:-

1. मा. कुलपति महोदय — अध्यक्ष
सं. सं. नि. नि. नारायण

विकी लाल शर्मा
10.03.25

2. संकायाध्यक्ष — सदस्य
प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

10.3.25

3. विभागाध्यक्ष — संयोजक
सम्बद्ध विभाग, राजकीय आयुर्वेद महावि.
एवं चिकित्सालय, नारायण

10.03/2025

4. प्रो. के. के. पण्डित, विभागाध्यक्ष — सदस्य
संकाय विभाग, आयुर्वेद संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, नारायण

5. प्रो. सामू प्रसाद पाल, रचना शक्ति विभाग — सदस्य
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद महावि.
एवं चिकित्सालय, प्रयागराज

10.3.25

कार्यवाही विवरण एवं निर्णय
सर्वसम्मति से अधोलिखित विवरण के अनुसार सहमति प्रदान की गई:-

क्र.सं. नाम उपेक्षक

निर्देशक नाम

01. श्री अमरनाथ

प्रो. नीलम गुप्ता

शोध शीर्षक " वैदिक प्रकृत्यां सन्तत्यां च रक्तवर्णस्य
सद्व्ययनम् "

10/3/25

10.3.25

10.3.25

विकी लाल शर्मा
10.03.25

अनुसंधानोपाधि - समिति

आयुर्वेद विभाग

दि० 17.5.25

आज दिनांक 17.5.2025 को अपरहण 03:00 बजे आयुर्वेद विभागीय अनुसंधानोपाधि समिति की बैठक मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित विधानगण उपस्थित हुए:-

1. मा० कुलपति जी — अध्यक्ष बिबी लाल शर्मा
17.05.25
सं० सं० वि० वि० वाशगरी
2. सैकायाध्यक्ष — सदस्य Sampat
17.5.25
प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक,
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,
वाशगरी
3. विभागाध्यक्ष सम्बद्ध विभाग — संयोजक Shruti
17.05/2025
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
वाशगरी
4. प्रो० के० के० पाण्डेय, विभागाध्यक्ष — सदस्य Sandy
17/5/2025
संसाधन विभाग, आयुर्वेद संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाशगरी
5. प्रो० सामू प्रसाद पाल, रचना शरीर विभाग — सदस्य Sampat
17.5.25
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय हीडया, डयागरज

कार्रवाई विवरण एवं संस्तुति

अनुसंधानोपाधि समिति की बैठक में डा० प्रकाश राज सिंह के आवेदन पर विचार करते हुए समिति ने अध्यापक के सम्पूर्ण पुनः पञ्जीकरण करने एवं प्रो० नीलम गुप्ता को निर्देशक नामित करने पर अपनी सहित संस्तुति प्रदान की। पुनः पञ्जीकरण की तिथि से तीन महीने के भीतर गवेषक द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् पुनः पञ्जीकरण की कोई जरूरत नहीं होगी।

Sandy
17/5/25Sampat
17/5/25Sampat
17.5.25Shruti
17.05/2025बिबी लाल शर्मा
17.05.25